

11⁰⁶/₁₉ पत्रावली पेश हुई। बकुलाग उप.
~~अनुपस्थित~~ पीठासीन अधिकारी
 कोर / अन्य कार्य में बास्ता।
 03/09/19 को पेश हो

23⁰⁹/₁₉ ~~दिलवाणी~~ पेशी ~~दैन~~ पर पत्रावली आज पेश हुई।
 बकुलाग उभयपक्ष उप. वास्ते पेश होने केबाब
 दया प्रतिवादी सं. 1 ता 7 व आरोप लागील प्रतिवादी
 सं. 5 हेतु अक्षिप्त उत्तर दिया जाकर प्रिसल
 दिनांक 04/11/19 को पेश हो

11⁰⁴/₁₉
 पत्रावली पेश हुई। बकुलाग उप.
~~अनुपस्थित~~ पीठासीन अधिकारी
 कोर / अन्य कार्य में बास्ता। ~~आधीवक्ताओं का कार्यस्थित~~
 पत्रावली ~~अनुपस्थित~~ आर्डिनर
 दिनांक 24/12/19 को पेश हो

24¹²/₁₉ पत्रावली पेश हुई। वकील ~~वकील~~ उप.
 अग्रार्पीण सं. 1 ता 5 को बार-2 अवाजे दिलवाणी
 गयी। बावजूद अवाजे अनुपस्थित रहने पर अग्रार्पी-
 ण सं. 1 ता 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
 अमल में लगी जाती है। वकील ~~वकील~~ की वदस
 सुनी गयी।
 पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
 रिफाई का अवलोकन किया गया तथा वदस
 वकील वकी पर सगौर मनन किया गया। ~~द्वि~~ अग्रार्पीण
 सं. 1 ता 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल
 में लगी जा चुकी है। मूल वाद तमास्मा का है ~~द्वि~~

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

मूल वाद निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये
अस्वाप्ती निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित
प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगण को तदोपरोक्त फैसल
वाद जरिये अस्वाप्ती निषेधाज्ञा पाबन्द किया
जाता है कि वे विवादित अराजी ख. नं.
481, 483, 484 कुल किता-3 कुल रकबा
1.79 हे० एवं अरि ख. नं. 149 ता 158 व
160 कुल किता-11 कुल रकबा 6.80 हे० इन
ग्राम समर्थपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर
(राज.) के रिकार्ड व मॉके की यथास्थिति बनाये
रखे। फावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कल हो तथा वाद तमनील दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 24/12/2019 को मेरे द्वारा
शुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रणजीत सिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला